राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 06 / 2020

1. कमला देवी पत्नी जगदीश सिंह जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. कैलाश सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
3. कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश सिंह जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
4. विरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
5. मुन्नी पुत्री जगदीश सिंह जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
6. मुनेष पुत्री जगदीश सिंह जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
7. सुमन पुत्री जगदीश सिंह जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम किशनपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 111 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मातादीन पुत्र प्रभाती के स्थान पर जगदीश सिंह पुत्र प्रभातीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 111 ग्राम किशनपुरा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों त[illegible] रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन [illegible] स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता [illegible] का नाम मातादीन पुत्र प्रभाती के स्थान पर जगदीश सिंह पुत्र प्रभातीलाल दुरूस्त किया जाना न्या[illegible] पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन [illegible]त होने के उपरान्त [illegible]य की पालना की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम किशनपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 111 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मातादीन पुत्र प्रभाती के स्थान पर जगदीश सिंह पुत्र प्रभातीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:42 IST
Reason: SelfAttested